न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 34/2018 (2018/00047)

रामेश्वर पुत्र रोडू जाति जाट निवासी कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थानसरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

--- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 02.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम कणोज** की जमाबन्दी संवत **2073–** में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
514–432	1644/2199 2377/1634	0.33 1.58	बा.1 बा.1
	कुल 2	1.91 है.	

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है प्रार्थी ही आराजीयात पर कब्जे काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है। उक्त आराज़ी प्रार्थी की कब्जे काश्त, आधिपत्य ,स्वामित्व में है। प्रार्थी ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। प्रार्थी आज से चार–पांच महिने पहले भी अप्रार्थीगण संख्या 11 को अपनी खातेदारी की आराजीयात में बाड करने से मना किया तो नहीं माने व प्रार्थी से लडाई झगडा पर उतारू हो गये। दिनांक 25.5.2019 को प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजीयात पर गया तब विवाद हुआ। इसलिये पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:39:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित होये। उन्हें सुना गया। अप्रार्थीगण को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया है कि पत्थरगढी करने से राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम कणोज की जमाबन्दी संवत 2073– के खाता संख्या नया पुराना 514–432 खसरा नम्बर 1644/2199, 2377/1634 रकबा कमंशः 0.33, 1.58 की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 02.12.2021 को केम्प कणोज मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:39:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner